उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०७ मतदान के लिये सभा के समक्ष रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड ५, ७, ८, ९, १३, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४७ और ४९ को सामूहिक रूप में सभा के सम्मुख रखता हूं । इन पर जो संशोधन हैं वे भी रखे जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८, १५२, १५४, १५५, ८७, ८८, ८९, १६, ९१, ९२, १०१, २३, २४, १०६, १२१, २०५, १२७, १२८ और १०८ मतदान के लिये सभा के समक्ष रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५, ७, ८, ९, १३, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४७, ४९ और १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५, ७, ८, ९, १३, १७ १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४७, ४९ और १ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कुछ दिन पूर्व मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग का प्रतिवेदन सभा में पेश किया था । मैं समझता हूं कि अनेक सदस्यों ने उसे पढ़ा है या उसके कुछ अंशों को पढ़ा है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जैसी कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई है, रखे गये सिद्धान्तों, उद्देश्यों और विकास के कार्यक्रमों का सामान्यतः अनुमोदन करती है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अनौपचारिक रूप से यह मान लिया गया है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अगले सत्र में भी चर्चा जारी रहनी चाहिये क्योंकि हम चाहते हैं कि सदस्यों को द्वितीय योजना के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाये। यह भी मान लिया गया है कि अगले कुछ दिनों तक प्रतिवेदन के प्रथम आठ अध्यायों पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिन में आम सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है। अतः इस विषय की चर्चा इस सत्र में समाप्त नहीं होगी बल्कि लोक-सभा के आगामी सत्र के कुछ दिनों तक वह चलती रहेगी।

जिन सदस्यों ने इस प्रतिवेदन को पढ़ा है उन्होंने इसे बहुत सरल नहीं पाया होगा यद्यपि इस के अनेक अंश बड़े आकर्षक हैं। हमसे कोई यह नहीं कह सकता कि हम इसके प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक प्रस्ताव से सहमत हैं। यह कार्य अनेक व्यक्तियों के परिश्रम का परिणाम है जिनमें केवल योजना आयोग के लोग ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग शामिल हैं जिनसे सलाह ली गई है। देशी-विदेशी विशेषज्ञों, विभिन्न समूहों तथा विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया गया है। यह देश के अनेक लोगों के सामूहिक चिन्तन एवं सामूहिक परिश्रम का परिणाम है और जैसा कि सामूहिक परिश्रम से तैयार की गई कृतियों में होता है इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों के लोगों की बात मानने की चेष्टा की गई है। यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को यह अपने विचारों के अनुकूल प्रतीत न हो किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन के विचारों में एक सामंजस्य है और मैं आशा करता हूं कि सभा इसके विस्तृत कार्यक्रमों की अपेक्षा इसके दृष्टिकोण, उद्देश्य, तरीकों और सिद्धांतों में छिपे हुए समन्वय पर अधिक ध्यान देगी। वैसे तो प्रत्येक सदस्य की यह स्वतन्त्रता है कि वह इस प्रतिवेदन के किसी भी सुझाव की आलोचना करे चाहे उसका सम्बन्ध सिद्धान्तों से हो अथवा कार्यक्रमों के ब्योरे से किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात इसके सिद्धान्तों को समझना है। अतः मैं यहां इसके मुख्य सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

इस प्रतिवेदन का अभिप्राय क्या है ? पढ़ने में चाहे कुछ लोगों को यह सरल लगे चाहे जटिल, इसका विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक है। इसका सम्बन्ध ३६ करोड़ भारतीयों के भविष्य से है जिसका प्रभाव अन्य देशों के भविष्य पर भी पड़ेगा। जब हम भारत का लम्बा इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बड़े उत्थानपतन का पता चलता है। अब हम स्वयं इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। अब हम भारत का भविष्य बना रहे हैं। अतः इससे प्रभावशाली विषय और क्या हो सकता है ? अतः इतिहास ने हमें जो दायित्व सौंपा है, उसे देखते हुए हमें इस समस्या पर विचार करना है। साथ ही हमें विनम्रता से भी काम करना है, क्योंकि चाहे हम अपने आपको कितना ही दक्ष क्यों न समझें, राष्ट्र निर्माण का अभी हमें अधिक अनुभव नहीं है।

पांच वर्ष की अवधि हमने अपनी सुविधा के लिये ही निर्धारित की है। वैसे तो राष्ट्र की प्रगति के लिये किसी काल विशेष की आवश्यकता नहीं होती। हमें ऐसी तीन-चार बल्कि उससे भी अधिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में एक साथ सोचना चाहिये क्योंकि केवल एक-दो योजनाओं से ही हमारी मंजिल तय नहीं हो जाती। हमें देश के समाजवादी ढांचे के उद्देश्य का सदैव स्मरण रखना है। तीन-चार योजनाओं के बाद हमें संतोष हो सकेगा कि हमने कुछ प्रगति की है। योजना बनाते समय कभी-कभी हम अपने वृहत् दृष्टिकोण को भूल कर छोटी-छोटी बातों में उलझ सकते हैं और अपने उद्देश्य को भूल सकते हैं। उदाहरण के लिये, प्रादेशिक विकास का प्रश्न है। हम सब चाहते हैं कि भारत में सर्वत्र उन्नति और विकास हो।

हम चाहते हैं कि कहीं कोई असमानता न रहे और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिये समान अवसर प्राप्त हो सके किन्तु इस समय हम प्रत्येक क्षेत्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार

धन की स्वीकृति नहीं दे सकते । यदि हम ऐसा करने लगें तो सारी योजना ही चौपट हो जाय । इसी-लिये मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें केवल एक ही योजना पर ध्यान न देकर अनेक योजनाओं के बारे में सोचना चाहिये ।

इस योजना के उद्देश्य निश्चित रूपेण भौतिक हैं । ब आवश्यक हैं क्योंकि उन्हीं के आधार पर अन्य उद्देश्यों में सफलता मिल सकती है । कुछ अंश तक इस योजना का सम्बन्ध संस्कृति तथा अन्य विषयों से है । भौतिक उद्देश्यों पर जोर देने का यह अर्थ नहीं कि हम अन्य बातों पर ध्यान नहीं देते । वास्तव में यदि हम अपने नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को भूल जायें तो हमारी भौतिक प्रगति निरर्थक सिद्ध होगी । मैंने इस विषय का इसलिये जिक्र किया है कि लोग यह न कहें कि हम केवल भौतिक उन्नति की ही सोचते हैं । यह ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियों में नैतिक और आध्यात्मिक विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जब कि हम देश के एक महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस मनाने वाले हैं । हमें उस महापुरुष के सन्देश को नहीं भूल जाना चाहिये ।

प्रतिवेदन के वास्तविक विषय के बारे में मैं पहले यह कहना चाहता हुं कि हमें कुछ देर तक विश्व की वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिये जिसका कुछ उल्लेख इस प्रतिवेदन में भी किया गया है । बीसवीं शताब्दी में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके हैं । विश्व युद्ध और अनेक क्रांतियां हो चुकी हैं । ये परिवर्तन अब भी जारी हैं और ऐसी स्थिति में पंचवर्षीय योजना पर राजनैतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिक प्रभाव अवश्य पड़ता है ।

मैं राजनैतिक परिवर्तनों की बात नहीं करना चाहता क्योंकि विश्व में सब से क्रांतिकारी परिवर्तन प्रौद्योगिक परिवर्तन है जिसने कुछ ही पीढ़ियों में दुनिया को बदल दिया है । किन्तु हम इस परिवर्तन को प्रायः भूल बैठते हैं । हम आज की समस्याओं पर विचार करते समय अपना दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं । चाहे हम स्वयं दार्शनिक न हों फिर भी किसी सीमा तक ऐसा दृष्टिकोण आवश्यक है । हम जानते हैं कि बीसवीं शताब्दी के बीच में हमारे पुराने दार्शनिक सिद्धान्त ठीक नहीं बैठते । इसका कारण यह है कि बाह्य परिवर्तन चाहे कितनी ही शीघ्र गति से हो रहे हों, मानव की विचारधारा में इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता । मुझे इस बात में आश्चर्य होता है कि चाहे कोई दार्शनिक सिद्धान्त आज के युग के अनुकूल न हो फिर भी लोग उसी से चिपके रहते हैं । उदाहरण के लिये युद्ध को लीजिये । अनेक लोगों की धारणा है कि विभिन्न परिवर्तनों के कारण युद्ध अब एक पुरानी चीज हो गई है । चाहे किसी समय वह अच्छा समझा जाता हो किन्तु इस जमाने में कोई भी व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता ।

अब यहां यह प्रश्न उठता है कि जब हम आणविक युद्ध अथवा अन्य युद्ध को इतना नृशंस समझत हैं तो शीत-युद्ध को भी वैसा ही समझना चाहिये । फिर भी शीत-युद्ध बराबर जा ी है । आज के युग में वह निरर्थक है । उस से समस्यायें सुलझने के बजाय और उलझ जाती हैं । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत सी बातें पुरानी हो जाने पर भी चलती रहती हैं ।

युद्ध की भांति अनेक आर्थिक और बौद्धिक पहलू भी पुराने हो चुके हैं और वे वर्तमान पस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं ।

पिछले वर्षों का मुख्य तथ्य यह है कि प्रौद्योगिकी का अत्यधिक विकास हुआ है । अणुबम से ले कर उत्पादन में वृद्धि के प्रत्येक विषय में हम यह कह सकते हैं कि वे प्रौद्योगिकी से अत्यन्त प्रभावित हैं । समाज की उत्पादन शक्ति तथा जन-शक्ति बहुत बढ़ गई है और आणविक-शक्ति आदि नई शक्तियां बढ़ती जा रही हैं । ये परिवर्तन गुणों के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हैं उनके समूह के दष्टिकोण से उतने नहीं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारतवर्ष में प्रौद्योगिकीय क्रिया का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना कि अन्य देशों में। हमने ऐसे परिवर्तन का वास्तविक अनुभव नहीं किया है फिर भी योजना की चर्चा करते समय हमें इस विषय पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही मनुष्य की सम्पत्ति इतनी बढ़ सकी है जितनी कि उसे आशा न थी। प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हमारा राष्ट्र प्रगति कर सकेगा। हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देना है किन्तु यह विषय मुख्य है।

यदि हम आज से दस-बीस वर्ष पहले के भारत पर दृष्टि डालें जब कि हमारे यहां साम्राज्यवादी शासन था तो हमें पता चलता है कि वह समाज चेतनाहीन और निष्क्रिय था। चाहे कलकत्ता, बम्बई जैसे कुछ शहर विकसित हुए थे, किन्तु देश में आमतौर पर कोई तरक्की नहीं हो रही थी। जहां हम पहले थे, वहीं के वहीं बने रहे। जो आंकड़े हमें उपलब्ध हैं उनसे पता चलता हैं कि यद्यपि युद्ध के समय कुछ लोगों ने काफी पैसा कमाया फिर भी जन-साधारण की दशा पहले से बदतर हो गई। हमारे समाज को उससे विशेष लाभ न हुआ।

मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। युद्ध के बाद के समय को ही लीजिये। १९४८–४९ में राष्ट्रीय आय ८,६५० करोड़ रुपये थी और प्रति व्यक्ति आय २४६ रुपये ९ आने थी। अगले वर्ष राष्ट्रीय आय ८,८२० करोड़ रुपये थी और प्रति व्यक्ति आय २४८·६ रुपये। अगले वर्ष अर्थात् १९५० में अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व राष्ट्रीय आय ८,८५० करोड़ रुपये थी और प्रति व्यक्ति आय २४६ रुपये अर्थात् यह २४८ रुपये से तनिक कम हो गई है। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लगभग उतनी ही है, कुछ थोड़ी बढ़ी ही है, और प्रति व्यक्ति आय उतनी ही रही है अथवा कुछ कम हुई है। इसी बीच में जन-संख्या, निस्संदेह बढ़ी है और बढ़ती गई है।

अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ किये जाने से पूर्व कई शताब्दियों तक, पर्याप्त समय तक, स्थिति ऐसी ही रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त पर—स्मरण कीजिये आरम्भ पर राष्ट्रीय आय के आंकड़े ८,८५० करोड़ रुपये थे—राष्ट्रीय आय १०,८०० करोड़ रुपये थी। यह आंकड़ा बहुत अधिक नहीं, किन्तु फिर भी कम महत्वपूर्ण नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त पर प्रति व्यक्ति आय २४६ रुपये से २८१ रुपये हो गई।

जैसा कि मैंने कहा, दूसरे देशों में बहुत अधिक वृद्धि हुई, और बहुत तेजी से प्रगति होती रही। फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमारी स्तब्ध तथा स्थित आर्थिक-व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। इसने निर्धनता तथा अविकसित होने की दीवार, जो कि एक देश के लिये धिक्कार स्वरूप है, और जिससे एक देश बाहर नहीं निकल सकता, तोड़ दी क्योंकि गरीबी से गरीबी ही बढ़ती है। निर्धनता बहुत ही भयानक वस्तु है। यदि हमें उससे बाहर निकलना है, तो हमें निर्धनता की उस दीवार को तोड़ना है जो हमें नीचे रखे हुए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में—मैं यह नहीं कहता कि उसने उस दीवार को पूर्ण रूप से तोड़ दिया है—उस दीवार में पहली कठोर दराड़ को जो कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमें उस दीवार में बहुत बड़ी दराड़ करनी है। दूसरे देशों में ऐसा होता है कि पुरानी बातें चल रही हैं। "जिन के पास पहले ही है उन्हें और अधिक दिया जायेगा और जिन के पास कुछ नहीं है, सम्भवतया उनसे वह भी छीन लिया जाये जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास है"। अतः निर्धन देश निर्धन रहते हैं और धनवान देश और अधिक धनवान हो जाते हैं, उन्हें अधिक लाभ होता है, वहां अधिक पूंजी लगाई जाती ह और अन्ततः अधिक उत्पादन होता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। यदि आप कुछ देशों की प्रगति की तुलना करें तो यह प्रति वर्ष ६ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत अथवा १० या ११ प्रतिशत होगी।

हमने ५ प्रतिशत पर अपना उद्देश्य बनाया है और हमें ५ प्रतिशत प्राप्त करने में ही कठिनाई अनुभव हो रही है। हमें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत ही निम्नस्तर तथा बहुत ही कम अतिरेकों से कार्य आरम्भ किया। भारत की आय लगभग सभी देशों से कम है। यहां तक कि चीन की आय भारत की तुलना में कुछ अधिक है। आप क्रांति के समय रूस की दशा का अवलोकन कीजिये। इसकी आय भारत से कहीं ज्यादा थी आप इस बात को छोड़ दीजिये कि क्रांति से क्या कुछ हुआ। इसलिये हमें इस कठिनाई में आरम्भ करना है या यों कहिये कि हम एक निम्नस्तर से आरम्भ कर रहे हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने—मैं समझता हूं—इस दीवार में जो कि एक निर्धन देश को आगे बढ़ने से रोकती है एक बड़ी दराड़ की है। जो प्रतिवेदन में है उसमें से मैं कुछ आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि योजना आयोग का आगे के लिये क्या विचार है। प्राकृतिक रूप से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है किन्तु यह विचारों तथा सांख्यकी पर आधारित है। मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त पर राष्ट्रीय आय १०,८०० करोड़ रुपये थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त पर राष्ट्रीय आय १३,४८० रुपये तक बढ़ जाने का विचार है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति की आय भी २८१ रुपये से ३३१ रुपये हो जायेगी। तीसरी योजना अवधि में राष्ट्रीय आय १७,२६० करोड़ होने का विचार है और प्रति व्यक्ति आय ३९६ रुपये। चौथी योजना तक—अर्थात् १९७१ तक—राष्ट्रीय आय २१,६८० करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की सम्भावना है और प्रति व्यक्ति आय ४६६ रुपये हो जायेगी। अन्त में पांचवीं योजना के अन्त तक—अर्थात् १९७५ तक—राष्ट्रीय आय, सम्भव है, २७,२७० करोड़ रुपये हो जायेगी और प्रति व्यक्ति आय ५४६ रुपये तक हो जायेगी। यह अगले २० वर्षों की अवधि में होगी। यह भारत की होने वाली प्रगति का एक स्थूल अनुमान है।

जैसा कि मैंने कहा यह सब कई बातों पर निर्भर करता है जो कि अनिश्चित भी हैं। योजना आयोग का यह सारा विचार हमारे लाभ के लिये विज्ञान तथा टेक्नोलोजी के नये विकासों से बदल सकता है। योजना आयोग हमें यह नहीं बता सकता कि विज्ञान तथा टेक्नोलोजी में किस प्रकार के विकास होंगे। इसलिये हम और आगे भी बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर दुर्भाग्य से, यदि हम मेहनत न कर सके—आशा है कि दश मेहनत करेगा—तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यहां मैं यह भी बता दूं जैसा कि बार बार कहा गया है कि यह योजना नम्नशील है। इसका क्या अर्थ है? इसका यह मतलब नहीं है कि यह एक अस्पष्ट योजना है जिसमें यदि हम इसे पूरा न कर सकें तो जहां चाहें परिवर्तन करें, किन्तु लक्ष्य कम किया जा सकता है और समय बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से यदि किसी प्रकार हमारे लिये कुछ करना असम्भव है तो ऐसा हो सकता है। किन्तु नम्नशील का यह अर्थ नहीं है कि हमारे लक्ष्य ढीले हैं। हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करेंगे और कई बार लक्ष्य से आगे भी बढ़ेंगे।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस योजना के तैयार हो जाने के बाद भी इसमें परिवर्तन हुआ है। जब इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में चर्चा हो रही थी—इसके छापे जाने के पूर्व—इसने एक लक्ष्य को, जो कि हमने निर्धारित किया था और जो कि महत्वपूर्ण था—उसे मानने के लिये इन्कार कर दिया, अर्थात् खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने खाद्यान्नों के बारे में निर्धारित लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया। इसने सोचा कि यह लक्ष्य बहुत ही कम है। उन्होंने निदेश दिया कि इसे बढ़ाया जाये। जो आंकड़े पुस्तक में दिये गये हैं, मैं समझता हूं कि वह अगले पांच वर्षों में १५ प्रतिशत अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कहा कि यह लक्ष्य बहुत ही कम है। और हमें कम से कम ४० प्रतिशत अथवा ३५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ानें की कोशिश करनी चाहिये। १५ प्रतिशत की अपेक्षा ४० प्रतिशत वृद्धि एक बहुत बड़ी वृद्धि है। क्या हम यों ही सोच रहे

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

थे ? मैं समझता हूं कि हम ४० प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं, यदि ४० प्रतिशत नहीं तो कम-से-कम ३५ प्रतिशत तो अवश्य ही कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से यह वृद्धि १५ प्रतिशत से कहीं अधिक है।

इसलिये सभा समझ लेगी कि प्रतिवेदन तैयार होने पर, और जैसा कि हम इस संसद् में इस पर विचार भी कर रहे हैं, हमारे विचार कहां तक आगे जाते हैं। हम अधिकाधिक विचार करते हैं और अच्छाई के लिये परिवर्तन करते हैं। उस अर्थ में यह नम्नशील है। हम लक्ष्यों आदि पर प्रतिवर्ष विचार करेंगे—और यदि ठीक समझेंगे तो उनमें परिवर्तन भी करेंगे।

अगले सत्र में, मेरा विश्वास है कि मैं वार्षिक योजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा क्योंकि अब वार्षिक योजनायें भी तैयार हुआ करेंगी। मैं आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष की वार्षिक योजना का प्रतिवेदन मैं अगले सत्र में इस सभा में रखूंगा। इसी प्रकार वार्षिक योजना का एक प्रतिवेदन यहां रखा जाया करेगा जिससे उस वर्ष के लक्ष्यों का स्पष्ट पता चलेगा।

हमने यह कहा है कि हमारा उद्देश्य समाजवादी ढांचा निर्माण करने का है। मैं स्पष्टतया इस मामले में समाजवाद की परिभाषा नहीं करना चाहता क्योंकि हम सैद्धांतिक विचार धारा से परे रहना चाहते हैं, मैंने अपने जीवन में ही संसार में इतने परिवर्तन देखें हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि एक कठोर सिद्धान्त से हम बन्धे रहें। किन्तु सामान्यता भी जब हम "समाजवादी ढांचा" कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है ? निस्संदेह हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सामाजिक सामन्जस्य हो, श्रेणियां न हों; अवसर प्राप्त करने की समानता हो और प्रत्येक के लिये अच्छा जीवन बिताने के लिये अवसर मिले। प्रकटतया यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि हम ऐसे प्रमाप और स्तर नहीं बनाते जिनसे इस प्रकार के साधन उत्पन्न हों। इसलिये हमें अधिक जोर समानता पर देना है, असमानताओं को दूर करना है और सदैव यही स्मरण रखना है कि समाजवाद का यह अभिप्राय नहीं कि गरीबी फैलती जाय। आश्वयक बात तो यह है कि धन हो और उत्पादन बढ़े। अधिकतम आय के बारे में काफी बातचीत चल रही है और प्राकृतिक रूप से इससे एक व्यक्ति सहमत हो जाता है क्योंकि इससे आप समानतायें दूर करना चाहते हैं। किन्तु एक व्यक्ति को सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि एक प्रगतिशील समाज का प्रथम काम अधिक उत्पादन करना है; अन्यथा यह समाज बढ़ेगा और बांटने के लिये कुछ नहीं रहेगा। यदि आप अधिकतम आय निर्धारित करने अथवा किसी और काम में, जिस से आय में समानता लाई जा सके, जो कि आवश्यक है—इस राष्ट्रीय प्रगति तथा उत्पादन में एक रुकावट डाल देंगे तब हम अपने उद्देश्य में असफल रहेंगे। इसलिये चाहे यह काम उद्योग में हो अथवा कृषि में, पहली बात देखने की यही है कि क्या आप देश की आय बढ़ाना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि नहीं, तो आप उस क्षेत्र में एक ही स्थान पर रुके रहेंगे अथवा आप की प्रगति सीमित होगी। समानता प्राप्त करने के लिये—मुझे आशा हैं कि आप स्वतः देखेंगे—स्वतः अधिकतम आय की सीमा निर्धारित होने के लिये, जब सबके लिये समान अवसर होंगे— इसके लिये कोई बनावटी सीमा निर्धारित करने का रास्ता नहीं है किन्तु बहुत से मार्ग हैं जिनसे धीरे-धीरे वह उद्देश्य पूरा हो जायेगा। परिणाम वही निकलेगा किन्तु एक बनावटी प्रयास से यह बात नहीं बनेगी और प्रगति भी रुक जायेगी। आप इस बात को भी स्मरण रखें कि जैसे ही हम प्रगति करते हैं, योजना बनाते हैं—हमारी जन-संख्या भी बढ़ती है—अनुमान यह है कि—मैं समझता हूं— मैं ने अभी सभा में आगामी २० वर्षों में होने वाली हमारी राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिये हैं—और आगामी बीस वर्षों में हमारे देश की जन-संख्या भी ५० करोड़ तक बढ़ेगी। कृपया यह भी स्मरण रखें कि हमारी जन-संख्या की गति अधिक नहीं है—यह वृद्धि यूरोप के कई देशों से कहीं कम है—यह बात नहीं है कि वृद्धि की दर अधिक हो किन्तु जब बड़ी जन संख्या में वृद्धि होती है, तो परिणाम यह होता है कि जन संख्या बहुत अधिक हो जाती है—७० करोड़ या उसके लगभग। इसलिये जन-संख्या की वृद्धि का प्रश्न सदैव रहता है और जो कुछ आप आज

पैदा करते हैं वह केवल उन्हीं के लिये नहीं हैं जो कि इस समय हैं बल्कि उनके लिये भी है जो कि लाखों की संख्या में हममें सम्मिलित होंगे। इसलिये हमारी प्रगति हमारी जन-संख्या की वृद्धि विनियोजन के अनुपात अथवा पूंजी निर्माण के लिये लगाई गई देश की वर्तमान आय तथा उपक्रमों से अतिरिक्त उत्पादनों के फलस्वरूप होने वाले उत्पादन पर आधारित हैं। स्पष्टतया वह रकम जो आप राष्ट्रीय आय के अनुपात से लगाते हैं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अविकसित देशों में ऐसी रकम का अनुपात सदैव कम ही हुआ करता है। एक पूर्ण औद्योगिक तथा विकसित देश में वह (राशि) अधिक हुआ करती है। फिर भी हमें इसे बढ़ाना है, हमें इस समस्या को एक संतुलित दृष्टि से देखना है ताकि हमारा विकास सभी क्षेत्रों में ठीक रहे और यह एकांगी विकास न हो। हमें इन दूर की बातों पर भी ध्यान रखना है।

यह बात स्पष्ट है कि हमारे सामने सब से बड़ी समस्या बेरोजगारी की है जिसे हमें हल करना है। यह एक भयानक समस्या है--एक मानविक समस्या है जिसे हम नहीं छोड़ सकते, चाहे और कुछ भी करें। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि बहुत से व्यक्तियों को किसी धन्धे पर लगा देने से ही रोजगार में वृद्धि या कमी नहीं होती। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। एक माननीय सदस्य ने मेरे विचारानुसार सभा के बाहर--ऐसी बात कही थी। यदि रेल-व्यवस्था समाप्त कर दिया जाये तो नौकरी बहुत लोगों को कैसे दी जाये ? तब सम्भवतया किसी प्रकार की हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियां होंगी--कुछ लोग इन्हें खींचेंगे और कुछ निस्संदेह उन में बैठेंगे। इसलिये इस समस्या को इस ढंग से हल करना बिल्कुल गलत है। रोजगार, उत्पादन बढ़ाने के नये और प्रभावपूर्ण तरीकों से ही बढ़ता है--और वह आप इस समय प्राप्त नहीं कर सकते। पिछले २०० वर्ष का समस्त अनुभव और इतिहास यही बताता है कि टेकनोलोजिकल तरीकों से ही रोजगार बढ़ा है। यह सच है कि यह नहीं सोच सकते कि इस समय ऐसे विकास से मानव जाति के लिये मुसीबत पैदा होगी। वह एक दूसरी बात है, उसके लिये आप को तैयार होना होगा। अप्रौद्योगिक उन्नति की कल्पना करना ठीक नहीं। हमें तो बेरोजगारी को दूर करना है। आज वह सभी देश जिन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, प्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत हैं और जिन देशों में प्रौद्योगिक उन्नति नहीं है उनमें या तो बेरोजगारी है या रोजगार की कमी है। अतः यदि भारत को उन्नति करनी है तो उसे विज्ञान और प्रौद्योगिक दिशा में अवश्य उन्नति करनी चाहिये; पर इस बात का ध्यान रखते हुये कि उससे कष्ट और कठिनाइयां न पैदा होने पावें। हम कष्ट और कठिनाइयों को नहीं पैदा होने देंगे, चाहे उन्नति न कर पावें क्योंकि वह उन्नति वास्तव में उन्नति नहीं है जिस से कठिनाइयां और कष्ट पैदा हों। सच तो यह है कि हमारी गरीबी का कारण यह है कि हम विज्ञान में पिछड़े हुये हैं और अगर हम इस पिछड़ेपन को दूर कर लेंगे तो हम केवल धन ही नहीं पैदा करेंगे बल्कि हमारे देश में रोजगार की भी वृद्धि हो जायेगी।

गत सात वर्षों में हम थोड़े-बहुत नियम के साथ योजनायें बनाते रहे हैं और इस प्रकार हम योजना बनाने में कुछ होशियार भी हो गये हैं, हमें अपने देश तथा विदेशों के विशेषज्ञों से चर्चा करने का अवसर मिला है और हमने यह महसूस किया है कि इन मामलों को हमें सुलझाना होगा, न कि हमारे देश के या विदेशों के विशेषज्ञों को। विशेषज्ञ हमारी समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं और हमें बताते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं या हमसे क्या गलती हो जाने का डर है।

अतः हमें धीरे-धीरे योजना के इस पथ पर चल कर कुछ-न-कुछ सीखते ही रहना चाहिये; हो सकता है हम कुछ गलतियां करते रहें, पर हमें योजना के बारे में अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहिये। हम ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहते हैं जब कि हम किसी भी कार्य के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगा सकें, उसकी अगली अवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसके लिये उपबन्ध कर सकें; और आगे आने वाली कठिनाइयों को पहले से समझ सकें और समय से पूर्व ही उसके लिये आवश्यक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कार्यवाही कर सकें । । योजना का यही लाभ है । संसार में ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही है जो इस क्रमिक योजना प्रणाली पर विश्वास नहीं करते और स्वतन्त्र उपक्रम पर विश्वास करते हैं; ऐसे लोग भी आज स्वतन्त्र उपक्रम में आने वाली कठिनाइयों को मानने लग गये हैं ! हमारे देश में, वर्तमान अवस्था में, स्वतन्त्र उपक्रम का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता । हमें दूसरे देश को राय देने की आवश्यकता नहीं है । पर, वर्तमान अवस्था में यदि हम बिना योजना के कोई कदम उठाते हैं तो हम बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर पायेंगे या यदि कुछ उन्नति कर पायेंगे तो वह एकांगी उन्नति होगी । ऐसी अवस्था में हम जहां-तहां कारखाने खोल सकते हैं इससे एकाधिकार की वृद्धि होगी; कहीं पर धन की बहुतायत और कहीं गरीबी पैदा होगी । पर भारत का उद्देश्य यह नहीं है । इसके अलावा योजना बना कर देश में सम्पत्ति का जितना उत्पादन हो पायेगा उतना उत्पादन इस प्रकार बिना योजना के नहीं हो सकता । योजना का मूल-मन्त्र यह है कि मनुष्य, धन तथा सभी वस्तुओं या साधनों का सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करना; और बिना योजना के किसी कार्य को शुरू करने पर सभी बातें अवसर पर निर्भर होती हैं। यदि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिये अवसर (चांस) एक संतोषजनक उपाय है तो दुनिया में लोग योजना क्यों बनाते हैं ? इसका अभिप्राय तो वही है कि भाग्य पर विश्वास रखो । यह ठीक नहीं है ।

सारे संसार में योजना बनाकर काम करने के विचार को ठीक समझा जाता हैं । एक अर्ध-विकसित देश के लिये योजना के महत्व को सभी लोग मानते हैं । एक विकसित देश में बिना योजना के भी धन के सहारे बहुत कुछ काम किया जा सकता है पर हमारे देश जैसे अर्ध-विकसित देश के लिये योजना बहुत आवश्यक है । जब हम योजना की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय प्राथमिकताओं तथा अन्य बातों से नहीं है बल्कि हमारा अभिप्राय प्रत्येक माननीय कार्यकलाप से ह क्योंकि वह सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं ।

भारत की योजना की बात लीजिये । एशिया का एक बहुत बड़ा भाग अर्ध-विकसित है । वास्तव में भारत की उन्नति के लिये पड़ोसी देश की उन्नति भी आवश्यक है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम इन देशों की उन्नति के बिना उन्नति नहीं कर सकते या हमें दूसरे देश के मामलों में दखल देना चाहिये । हमारा अभिप्राय यह है कि अन्य देश भी उन्नति करें । यह धारणा गलत है कि अगर दूसरे देश उन्नति करते हैं तो इससे हमारे मार्ग में बाधा पड़ेगी । यह बात तो औपनिवेषिक समाज में लागू होती है जहां से कि आप सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदना चाहते हैं और अपना माल उसी बाजार में जबरदस्ती खपाना चाहते हैं । पर स्वतन्त्र देशों पर यह बात लागू नहीं होती । दूसरे देश यदि उन्नति करेंगे तो हमें भी लाभ होगा । राजनैतिक दृष्टि से हमें लाभ हुआ है और आशा है कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभ होगा । हम उनकी अधिक मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं, पर हमने अपने सीमित साधनों द्वारा अपने पड़ोसी देशों की सहायता की है ।

मैंने अभी सभा को बताया कि हम अपना कृषि उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं । इसलिये नहीं कि हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न चाहिये, बल्कि इसलिये कि हमें निर्यात के लिये भी खाद्यान्न चाहिये । हम अपने संसाधनों के बारे में बात करते हैं, हमारी योजना में काफी अभाव हैं; हम उसे कैसे पूरा करें । इस समय हमारे पास उस कमी को पूरा करने का कोई साधन नहीं है । एक बड़े देश या मानव जीवन की योजना बनाने में बहुत सी अनिश्चिततायें होती हैं । जहां तक मेरा विचार है, मैं इस कमी को पूरा करना अपने सामर्थ्य के बाहर नहीं समझता ।

विदेशी विनिमय का भी एक प्रश्न है । हम विदेशी विनिमय केवल सामान का निर्यात करके प्राप्त करते हैं । हमें दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । हां, यदि कोई हमें कुछ देता है, हम उसे स्वीकार करते हैं । इसलिये हमें निर्यात करना चाहिये चाहे खाद्यान्न हो, या औद्योगिक उत्पाद हो

या अन्य कोई वस्तु हो । बाहर से आयात करने के लिये हमें निर्यात करना आवश्यक है । यदि हम निर्यात को अधिक महत्व देते हैं तो हम लक्ष्य से अधिक उन्नति कर लेंगे ।

अभी उस दिन वाणिज्य और उद्योग मन्त्री ने निर्यात की आवश्यकता पर जोर दिया था । यदि हम बड़ी मात्रा में निर्यात करने जा रहे हैं तो हमें बड़ी मात्रा में आयात भी करना पड़ेगा । एक-तरफा बात से कोई काम नहीं बनता । बदले में कुछ मिले बिना कोई भी देश कोई वस्तु नहीं दे सकता ।

हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इससे हमें कुछ कठिनाई होगी बल्कि इससे हम देश में सम्पत्ति उत्पादन-सामर्थ्य भी बढ़ायेंगे । अतः हमें अधिक से अधिक निर्यात तथा अधिक से अधिक बाजार तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

कृषि सम्बन्धी उत्पाद का एक विशेष महत्व है । बिना स्थायी कृषि आधार के देश में स्थायी कृषि अर्थ-व्यवस्था नहीं हो सकती । प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने इस पर विचार किया और इस सम्बन्ध में आशातीत सफलता प्राप्त की है । इससे हमें भविष्य के लिये विश्वास मिलता है । अतः आगे जब हम ४० प्रतिशत बढ़ाने की बात करते हैं तो यह काफी है । हम इतना प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश का कृषि उत्पादन दुनिया में सब से कम है । हम उसे सैकड़ों गुना बढ़ा सकते हैं । यदि हम अपनी सारी शक्ति तथा बुद्धि को इस कार्य में लगायें तो हम उसे ४० या ५० प्रतिशत आसानी से बढ़ा सकते हैं । हमारी सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें लगभग १३० गांवों में फैली हुई हैं और आगामी प्रत्येक वर्ष में ५०,००० गांवों में फैलेंगी । सभा को पता है कि यह सामुदायिक योजनायें अपने ढंग की निराली हैं । हमने दूसरों से सीखा जरूर है पर हम दूसरों की नकल नहीं करना चाहते । इसीलिये भारत में खुद बनाई गयी कोई भी योजना बाहर के देश से लाकर थोपी गयी किसी योजना से अधिक प्रभावशाली होती है । इन सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं ने देश में एक स्वयं सेवा का वातावरण पैदा कर दिया है । इनके कारण हमारे देश के लोगों में से अकर्मण्यता तथा आलस्य की भावना दूर हो गयी है ।

अभी तक इन सामुदायिक परियोजनाओं का उद्देश्य सड़कों, तालाबों, कुंओं, स्कूलों आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना था और एक वातावरण तैयार करना था । खाद्यान्न-उत्पादन के बारे में भी कुछ ध्यान दिया गया था और उसमें २० से ३५ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो कि संतोषजनक है । अब हम चाहते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन तथा छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । इसके दो अर्थ हैं: औद्योगिक उत्पादन और कृषि सम्बन्धी उत्पादन । मुझे विश्वास है कि उन क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और लगभग ४० प्रतिशत तक हो जायेगा जिसे हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखने जा रहे हैं ।

अतः खाद्य-उत्पादन के प्रश्न को भी योजना के अभाव की दृष्टि से देखना चाहिये । यदि हम उत्पादन ४० प्रतिशत बढ़ा लेते हैं तो हमारे अभाव की पूर्त्ति हो जायेगी पर विदेशी विनिमय के लिये कुछ भी नहीं बचेगा । यदि हमारे पास काफी खाद्यान्न हो तो हम आज भी इसका निर्यात कर सकते हैं । पर यह सब इस बात पर निर्भर है कि हम अपने देश में उत्पादन कितना बढ़ा सकते हैं ।

अब मैं एक दो अन्य बातें लूंगा पर मैं सभी आवश्यक बातों को इस प्रतिवेदन में नहीं ले सकता । यह प्रश्न प्रशासन और संगठन और विशेषतया सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध का प्रश्न है क्योंकि सरकारी क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जायेगा । मैं सरकारी क्षेत्र के बढ़ाने की बात का पक्षपाती हूं । पर साथ ही मैं गैर-सरकारी क्षेत्र की निन्दा नहीं करता । इस योजना की मुख्य बात यह है कि हमें उन्नति के सभी सम्भव साधनों का लाभ उठाना है, न कि उन सैद्धांतिक बातों का पालन करना जो सैंकड़ों वर्ष पहले सच थीं । हम राष्ट्रीयकरण की बात तो ऐसे करते हैं मानों यह प्रत्येक रोग के लिये

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

राम बाण औषधि है। मेरा विश्वास है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राष्ट्र के हाथ में रहेगा; मैं समझता हूं कि अन्ततोगत्वा उत्पादन के सभी मुख्य साधनों का स्वामी राष्ट्र होगा। परन्तु मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि आज मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेंरी प्रगति रुक जाये, मेरे बढ़ते हुए उत्पादन पर रोक लग जाये और मैं यह केवल इसलिये करूं कि किसी केपी सैद्धांतिक भावना की पुष्टि हो जाये। मुझे इस बात में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि भारत में वर्तमान अवस्था में गैर-सरकारी उद्योगों को बहुत महत्वपूर्ण काम करना है परन्तु शर्त यह है कि यह निर्धारित सीमाओं में रह कर काम करें और साथ ही इनके काम के फलस्वरूप एकाधिकारों का जन्म न हो और न दूसरी बुराइयां पैदा हों जो धन सम्पदा के कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में आ जाने से जन्म लेती हैं। मैं समझता हूं कि हमारी विधियों और नियमों में इतनी शक्ति है कि उनसे गैर-सरकारी उद्योगों पर अंकुश रखा जा सकता है। हम किसी चीज का राष्ट्रीयकरण करने से डरते नहीं हैं। सभा को मालूम है कि हमने पिछले कई मासों में भी बहुत बड़े कदम उठाये हैं। कुछ समय पहिले बीमा सम्बन्धी विधेयक सभा के सामने था। सब हमने इस प्रकार के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, और हम उनको करने से डरते भी नहीं। परन्तु हम केवल राष्ट्रीयकरण करने के लिये तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जब तक कि हम यह न समझें कि उससे राष्ट्र को लाभ होगा। दूसरी ओर हम यह ज्यादा अच्छा समझते हैं कि नये राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की जाये, न कि यह कि सभी उद्योगों को, जो कि कई बार जर्जर अवस्था में होते हैं, प्रतिकर देकर अपने हाथ में ले लिया जाय। हम इस प्रगतिशील युग में जब कि प्रौद्योगिकी और प्रविधि दिन प्रति दिन बदल रही है, पुरानी प्रविधि को क्यों अपनायें? मैं तो इस बात को ज्यादा अच्छा समझता हूं कि नई प्रविधि हो और नये कारखानें और फैक्टरीरियां हों। पुराने कारखानों को तो तभी हाथ में लेना चाहिये जब कि उनसे कोई सामरिक प्रयोजन पूरा होता हो; ऐसा हो तो स्थिति दूसरी है। पुराने कारखानों को मैं इसलिये हाथ में लूंगा कि मैं अपने अर्थ तन्त्र के सामरिक पहलू को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इसलिये सभा से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात को समझें कि इस प्रतिवेदन का आधार यह विचारधारा है कि सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग इस योजना के परिसीमनों और बन्धनों में रहते हुए परस्पर सहयोग दें।

इसलिये, यद्यपि यह स्पष्ट है कि सरकारी उद्योगों का संवर्धन होगा—और अब भी निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टिकोणों से इनका संवर्धन हुआ है—गैर-सरकारी उद्योग महत्व रहित नहीं है। इनका काम महत्वपूर्ण होगा और इसमें सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे और अन्ततोगत्वा इनका लोप हो जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): क्या आपकी विचारधारा यह है कि सभी सामरिक पहलुओं पर सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व रहेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जी हां, मैं ने यही कहा है। हमारे अर्थतन्त्र के सभी पहलुओं पर सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व रहना चाहिये और रहेगा भी। जैसा कि हमारे औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में कहा गया है कि गैर-सरकारी उद्योगों को वर्तमान परिसीमनों के अधीन रहते हुए काफी बड़े क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी गई है। और यह हमारा काम है कि समय-समय पर हम इस बात का निर्णय करें कि भविष्य में इन उद्योगों के प्रति हमें क्या रवैया अपनाना चाहिये।

परन्तु प्रश्न यह है कि प्रगति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमारा देश अल्प विकसित है। औद्योगिक विकास का क्षेत्र काफी बड़ा है और उसमें किसी एक का प्रभुत्व नहीं। हमें आगे बढ़ना चाहिये; सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में।

उद्योगों की प्रगति होनी चाहिये । हम किसी पुरानी फैक्टरी या कारखानों को अपने हाथ में लेने में अपना समय और शक्ति क्यों बरबाद करें ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

तेल की ही बात लीजिये । सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में तेल का बड़ा महत्व है । इस बात को जाने दीजिये कि यदि किसी देश के पास तेल नहीं है, या उसमें तेल का उत्पादन नहीं होता तो उसे तेल के लिये दूसरे देशों को बड़ी-बड़ी रकमें देनी पड़ती हैं । इसके अतिरिक्त उसकी स्थिति कमजोर रहती है । प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से तेल का अभाव एक घातक कमजोरी है । हम तेल उद्योग का विकास करना चाहते हैं । सभा को मालूम है कि हमारा विचार इसका विकास करने का था और सच तो यह है कि हम कर भी रहे हैं । मैं इस बात की गारन्टी नहीं दे सकता कि हमारे पास कितना तेल होगा जिसे हम साफ कर सकेंगे । मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि स्थिति आशाजनक दिखाई देती है । यदि दस स्थानों में स्थिति आशाजनक है और उनमें से सात या आठ में हमें कुछ नहीं मिलता और दो या तीन में कुछ मिल जाता है तो उन दो या तीन से ही हमें इतना मिल जायेगा कि बाकी स्थानों की असफलता से हुई कमी पूरी हो जायेगी, बल्कि और भी कुछ बचा रहेगा । इसीलिये मैं कहता हूं कि स्थिति आशाजनक है । हमें इन चीजों पर खर्च करना पड़ता है और खर्च के लिये अधिक धन प्राप्त करना कोई खेल नहीं । परन्तु हमें खर्च तो करना पड़ता है क्योंकि इन चीजों का बड़ा महत्व है । हमारे न केवल मूल उद्योगों बल्कि कुछ सारभूत वस्तुओं के दृष्टिकोण से भी और बातें हो सकती हैं जिनका महत्व हो । इसमें सन्देह नहीं कि मशीन बनाने के उद्योग का आधारभूत महत्व है । इसी से हमें बाकी चीजें मिलती हैं । तो यह बहुत आवश्यक है कि हम, जितनी जल्दी हो सके, इस उद्योग का विकास करें । इस में समय लगेगा । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम कहां तक बढ़ सकते हैं और रसायन और औषधियां बनाने के बड़े-बड़े सरकारी कारखानों की स्थापना में कितनी तेजी से प्रगति कर सकते हैं । यह तो सब प्रगति की बातें हैं । मैं चाहता हूं कि सभा इस बात को महसूस करे कि सरकारी उद्योगों की प्रगति के लिये यह कितना बड़ा क्षेत्र है जिसमें आज तक किसी ने प्रवेश नहीं किया; कम-से-कम आज तो इस क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं देता । सरकारी उद्योग प्रगति कर रहे हैं । गैर-सरकारी उद्योग भी प्रगति करें तो हमें उसमें कोइ आपत्ति नहीं है परन्तु शर्त यह है कि मुख्य और आधारभूत चीजों में और सामरिक महत्व की चीजों में सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व रहे । कुछ आलोचना की गई है और राष्ट्रीय विकास परिषद् में भी इस आधार पर इस योजना की आलोचना की गई थी कि कुछ प्रदेशों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है और यह भी कि देश के किसी विशेष भाग में कोई रेल नहीं बनाई गई या कारखाना किसी और भाग में स्थापित नहीं किया गया । आज प्रातः राज्य-सभा में प्रश्नोत्तर काल में यह प्रश्न उठाया गया था और मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं : पहिली बात यह है कि यह तो सभी जानते हैं कि जहां तक सम्भव हो भारत के सभी प्रदेशों का समान विकास करने का प्रयत्न किया जाये और देश में विकास के सम्बन्ध में जो असमानतायें हैं उन्हें दूर किया जाये । हमारे कुछ प्रान्त—मैं उनका नाम नहीं लूंगा—बहुत पिछड़ गये हैं । उन्हें पिछड़ी दशा में नहीं रहना चाहिये । अंग्रेजों के शासन काल में कुछ अन्य भागों का विकास किया गया । बड़े-बड़े शहर बन गये, औद्योगिक केन्द्रों के रूप में नहीं, बल्कि आयात-निर्यात के सिलसिले में । हम इन विभेदों को दूर करना चाहते हैं । यह काम फौरन ही नहीं हो जायेगा इसमें कुछ समय लगेगा । यदि हम इस विभेद को फौरन दूर करने की चेष्टा में कोई ऐसा काम कर जायें जो अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल न हो, तो इसका परिणाम केवल यह होगा कि हमारा बोझ बढ़ जायेगा । कुछ ऐसे कारखाने हैं जो विशेष प्रदेशों में ही स्थापित किये जा सकते हैं । लोहे और इस्पात के कारखाने केवल वहीं स्थापित किये जा सकते हैं जहां लोहे की कच्ची धातु और कोयला मिलते हों । सिवाये इसके और कोई चारा नहीं । जब तक किसी स्थान पर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कच्चा माल न मिलता हो और वहां परिवहन की सुविधायें प्राप्त न हों तब तक हम कोई कारखाना नहीं खोल सकते। इन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। हमने अपने अधिकतर बड़े कारखानों के सम्बन्ध में समितियां बनाई हैं जिनमें हमारे अपने विशेषज्ञ हैं और कई बार विदेशी विशेषज्ञ भी होते हैं। वे बीस या तीस स्थानों में घूमें हैं और उन्होंने कुछ स्थानों के बारे में सिफारिश भी की है। हमने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि वह कारखाना किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहां अपेक्षतया कम उद्योग हों। परन्तु सब बातों को देखते हुए हम उन बाकी बातों को नहीं भूल सके जिनके कारण वह कारखाना उस क्षेत्र के लिये लाभदायक होगा। यदि हम इसे किसी दूसरे स्थान में स्थापित करें तो यह लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ मित्रों ने यह शिकायत की है कि आपने यह कारखाना एक राज्य विशेष में खोल दिया है और दूसरे राज्य में नहीं खोला। उनकी शिकायत इस दृष्टि से उचित है कि हमें उनके राज्य का भी विकास करना है। परन्तु हमारे सामने कोई चारा नहीं। हम किसी कारखाने को केवल उसी स्थान में खोल सकते हैं जहां वह सबसे अधिक सफल होगा। सफलता की कसौटी तो उत्पादन है। यदि यह सफल न हो तो सरकारी उद्योगों की आलोचना की जाती है और फिर इस असफलता से एक गलत विचारधारा का जन्म होता है।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सभा में प्रायः सरकारी क्षेत्र की बुराइयां बताई जाती हैं तथा यह निश्चित है कि बड़े-बड़े उपक्रमों में कुछ बुराइयां हों। दूसरा सवाल उठाया जाता है कि संसद् सरकारी क्षेत्र पर किस प्रकार नियन्त्रण करे? सभी बड़े उपक्रमों पर, जिन पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है, उचित नियन्त्रण की आवश्यकता का औचित्य हम भली प्रकार समझते हैं परन्तु इस सवाल का एक अन्य पहलू भी है जिसको मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं।

जिस प्रकार सरकार काम करती है, सामान्यतः व्यवसाय तथा उपक्रमों में कार्य उसी प्रकार से नहीं किया जाता है। सरकार सभी प्रकार के नियन्त्रण रखती है, क्योंकि वह जनता का धन व्यय करती है और सरकार के पास इन नियन्त्रणों को लागू करने का समय भी है। परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी संयन्त्र तथा उपक्रम को चालू करता है तो उसे शीघ्र निर्णय करने पड़ते हैं जिनसे अधिक धन उपलब्ध हो सके, अथवा जिन पर सफलता तथा असफलता निर्भर है, इसलिये सरकारी कार्यप्रणाली इसके उपयुक्त नहीं है। तथा मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यदि सामान्य सरकारी कार्यप्रणाली को सरकारी उपक्रम में लागू किया जाये तो इससे सरकारी उपक्रम अवश्य असफल हो जायेंगे क्योंकि उनमें विलम्ब होगा तथा अन्य कार्यों पर नियन्त्रण होगा।

इसलिये सरकारी उपक्रम की कार्य प्रणाली के लिये, हमें इस प्रकार की पद्धति निर्धारित करनी है जिसके द्वारा एक ओर तो पर्याप्त नियन्त्रण किया जा सके तथा दूसरी ओर उसको पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जाये जिससे वह बिना विलम्ब किये शीघ्रता से कार्य करे। अन्त में उसके परिणाम से इसका निर्णय किया जाये। सरकार के कार्यों का निर्णय, जहां तक वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है परिणामों से नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक निश्चित कार्यप्रणाली है। इसलिये सरकार को तो एक-एक पाई का सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ होने पर बड़ी गड़बड़ी हो सकती है।

परन्तु एक बड़े उपक्रम का निर्णय करने के लिये आपको उसके परिणामों पर निर्णय करना है। मान लीजिये एक गलती होती है। आज किसी कार्य से हानि हो गई है तो संसद् में कोई यह प्रश्न उठायेगा कि वह कार्य किस ने किया था? लाखों रुपयों की हानि क्यों हुई? इसके बाद संयन्त्र में कार्यपालिका कोई नवीन कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि वह कहेगा कि मेरी संसद् में बेइज्जती होगी; और इस प्रकार प्रयोग नहीं किये जायेंगे, उत्साह नहीं होगा तथा वह सावधानी से डरते-डरते कार्य करेगा।

†**श्री वेलायुधन** (विवलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): कर्मचारियों को बदल दीजिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : परन्तु अन्य व्यक्तियों को भी उसी प्रकार का भय होगा ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिन देशों में सरकारी उपक्रम हैं वह इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जिस व्यक्ति पर उपक्रम का भार हो, उसको स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । वहां बहुत अधिक स्वतन्त्रता दी गई है । यह ठीक है कि यदि अधिक हानि होगी, तथा सब नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा तो जिस व्यक्ति पर भार है, उस पर इसका असर पड़ेगा । परन्तु तथ्य यह है कि उसको जिम्मेदारी दी गयी है ।

प्रोफैसर गलब्रेथ जैसे अमेरिकी और रूसी नेता श्री मिकोयान ने हमें परामर्श दिया, बताया कि अपने उपक्रमों के कार्य में बाधा मत डालो तथा जो लोग उनके चार्ज में हैं उनकी जिम्मेदारी हो । श्री मिकोयान यहां आये । आप जानते हैं कि रूस यहां इस्पात संयन्त्र लगा रहा है जिसके सम्बन्ध में वार्ता प्रारम्भिक प्रक्रम पर है । उन्होंने बताया कि यदि आप प्रभारी व्यक्ति पर श्वास नहीं करेंगे, उसे अधिक जिम्मेदारी नहीं देंगे तो कार्य विलम्ब से होगा और हानि होगी । उन्होंने कहा कि हम पर्याप्त अनुभव के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचे हैं । हमें प्रभारी व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिये तथा उसे आगे बढ़ने देना चाहिये । यह ठीक है कि नियन्त्रण भी हों, परन्तु नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षा बाद में आते हैं । वहां जो मुख्य व्यक्ति हो उसे जो वह चाहे वह शीघ्र करने का सामर्थ्य होना चाहिये ।

यदि हमें सरकारी उपक्रमों को बढ़ाना है तो यह तथ्य जानना चाहिये । हम प्रत्येक दिन संसद् में बैठ कर सरकारी उपक्रमों पर नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं । यह कभी-कभी लाभदायक हो सकता है कि आप कुछ धन बचायें परन्तु सर्वदा ऐसा करने पर धन की हानि करेंगे तथा कार्य शीघ्रता से नहीं होंगे और उचित वातावरण न होने के कारण, विकास नहीं होगा जोकि बढ़ते उद्योग के लिये हानि-कारक है ।

मुझे खेद है कि जो कुछ मैंने योजना के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में कहा है वह छिन्न-भिन्न सा है । परन्तु मैं फिर सभा को याद दिला देना चाहता हूं कि यह पुस्तक दिलचस्प हो अथवा शुष्क हो इसका विषय शुष्क नहीं है । इसका विषय उत्तेजक है और विशाल है क्योंकि इस पर भारत का भविष्य निर्भर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित अंश को रखा जाये:

"This House while recording its general approval of the objectives contained in the Second Five Year Plan as prepared by the Planning Commission resolves that necessary modifications should be made in the recommendations of the Commission on the following lines :—

(i) While raising resources by taxation due consideration will be made of the income, consumption pattern and living conditions of the different sections of the population.

(ii) Original recommendations of the Land Reform Panel with regard to the imposition of ceiling on land-holdings, rent, tenancy etc. should be restored.

(iii) With a view to strengthening the public sector no permission should be granted to the private sector for the installation of heavy industries.

---

†मूल अंग्रेजी में ।